

कार्यालय नगर पालिक निगम, भोपाल
दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
हर्षवर्धन शापिंग काम्पलेक्स माता मंदिर
nulmbhopal@gmail.com

// आमंत्रण सूचना //

दीनदयाल अन्त्योदय योजना—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेन्ट के माध्यम से रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को आमंत्रण सूचना।

दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय शहरी आजीविका मिशन योजनान्तर्गत कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेन्ट के माध्यम से रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के प्रस्ताव/पंजीयन करने हेतु आमंत्रित किया जाता है। संस्थाओं की पात्रता एवं विवरण निम्नानुसार है :-

1. शासकीय संस्थाएँ जैसे:- आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक कॉलेज, तकनीकी विश्वविद्यालय आदि।
2. कौशल प्रशिक्षण से सम्बद्ध शासकीय संस्थानों जैसे- आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक कॉलेज एन..एस.डी.सी., स्किल्स सेक्टर काउन्सिल्स, औद्योगिक समूह, स्वशासी संस्थाएँ आदि।
3. निगम द्वारा नेशनल स्किल डेव्हलपमेन्ट कार्पोरेशन (एन..एस.डी.सी.) एवं अन्य शासकीय विभागों से सम्बद्ध एजेन्सियां आदि।

प्रशिक्षण प्रदाता संस्था हेतु शर्तेः

1. निगम भोपाल में कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेन्ट के माध्यम से रोजगार प्रशिक्षण हेतु एन.एस.डी.सी. एवं एस.एस.सी. से सम्बद्ध प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के पास एन.सी.डी.टी. (एम.ई.एस.कोर्स) तथा एस.एस.सी. अनुमोदित कोर्स संबद्ध प्रमाण—पत्र होना चाहिए।
2. प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को कोर्स एवं एन.एस.डी.सी. की नियमावली के अनुसार प्रशिक्षण केन्द्र निगम क्षेत्र में स्थापित हो।
3. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था किसी भी विभाग से ब्लैक लिस्टेड (काली सूची) न हो।
4. कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेन्ट के माध्यम से रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रशिक्षण का निष्पादन अनुबंधित संस्था द्वारा स्वयं करने की क्षमता हो। सबलेटिंग न किया जाता हो।
5. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा विगत 02 वर्ष में किये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों में न्यूनतम 50 प्रतिशत सफल प्रशिक्षित अभ्यार्थियों का नियोजन (प्लेसमेन्ट) किया गया हो।¹⁴
6. यह विज्ञापन पात्र प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं की सूची तैयार करने के लिए तथा पंजीयन हेतु जारी किया जा रहा है। पंजीयन 03 वर्ष तक मान्य रहेगा।

उपरोक्त पात्रता रखने वाली संस्थायें निगम कार्यालय माता मंदिर में कार्यालयीन समय 10:30 से 5:30 बजे दिनांक 5 अगस्त 2016 तक अपने आवेदन प्रस्ताव पंजीकृत डाक से प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 5.8.2016 के पश्चात प्राप्त किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

अपर आयुक्त
निगम, भोपाल